

(5)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
तारीख 29/10/2003

2786
संख्या-ई.स./जी.एस.
दिनांक 29 सितम्बर, 2003

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलाखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-खोवि०/सम्ब/२००२/७५०-५२ दिनांक ४.३.२००२ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा ज्योतिबाफुले महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरोला (ज्योतिबाफुले नगर) को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में दिनांक १.७.२००३ से सम्बन्धिता की स्वीकृति सन्धि प्रदान कर दी है।

भवदीय


(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक, रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरोला (ज्योतिबाफुले नगर)

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

Photo Copy Attested


प्राजवल

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजरोला (अमरोहा)

महोदय
30/10/03
महोदय
8-10-03

प्रेषक,

ओम प्रकाश मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में.

कुलसचिव,
बरेली विश्वविद्यालय, बरेली

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी, 2005

विषय:- रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर(मुरादाबाद) में स्नातक स्तर पर बी0काम0 तथा बी0एस0सी0 की कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में सम्बद्धता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रमाबाई राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर (मुरादाबाद) में बी0एस0सी0 में पाँचों विषयों तथा बी0काम0 की कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में, पद सृजन की प्रत्याशा में महाविद्यालय का पैनल कराकर निरीक्षण आख्या के साथ सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें ।

भवदीय,

(ओम प्रकाश मिश्र)
अनु सचिव ।

संख्या-2032(1)/सत्तर-5-2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली ।
- 3- प्राचार्य रमाबाई अम्बेडकरनगर राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर (मुरादाबाद)

आज्ञा से,
03/1/05
(ओम प्रकाश मिश्र)
अनु सचिव ।

महो
अनु सचिव
म.म.
5.2.04

Photo Copy Attested

प्राचार्य
रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजरौला (अमरोहा)

University Grants Commission
Bahadur Shoh Zafar Marg
NEW DELHI-110002

Came Across
7N 1.4.03
1
1.4.03

F.S-57/98(CPP-I)

January, 1999.

The Registrar,
Mahatma Jyotiba Phule
Rohilkhand University,
Bareilly (U.P).

17 JAN 1999


Sub: List of colleges prepared under Section-2(f) of the
UGC Act, 1956-Inclusion of New Colleges.

Sir,


I am directed to refer to your letter No. PU/UGC/Govt.
Mahavidyalaya/2(f)/97 dated 16-12-97 on the above subject
and to say that the name of the following college has been
included the above list under Government College(-) teaching
upto Bachelor's Degree:

<u>Name of the College.</u>	<u>Year of Estt.</u>	<u>Remarks.</u>
Ramabai Ambedkar Govt. College, Gajraula -244235, Distt. Jyotiba Phule Nagar (U.P). (Sh. H.S.Saxena)	1996	The College is not eligible to receive central assistance in terms of the rules framed under Section- 12-B of the UGC Act, 1956.

Photo Copy Attached



प्राचार्य
महाविद्यालय अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजराउला (अमरोहा)


Yours faithfully,


(D.D.Mehta)
Under Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Ramabai Ambedkar Govt. College, Gajraula-
244235, Distt. Jyotiba Phule Nagar, (U.P).
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Human Resource,
Development, Deptt. of Education, T-14 Section, New Delhi.
3. Joint Secretary, UGC Northern Regional Office, A Block,
IInd floor, Nehru Vikas Minar, Nehru Park, Gandhinagar Complex,
G.T. Road, Ghaziabad.
4. All Sections, UGC.
5. S.O. (F.D-III) Section, UGC.
6. D.T.P. Cell, UGC, New Delhi.
7. Guard file.


(G.P. Arora)
Section Officer



F. 8-61/2004 (C.P.P.-I)

March, 2005

The Registrar,
M.J.P. Rohilkhand University,
Bareilly-243 006 (U.P.)

17 MAR 2005

Sub - Declaring a College fit to receive Central financial assistance under Section 12-B of UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. 954/2004-05 dated 2nd March, 2005 received from the Principal, Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula on the above subject and to say that it has been noted that the Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula has been granted permanent affiliation by the M.J.P. Rohilkhand University. Accordingly, the said College which already stands included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956, is declared fit to receive assistance from the UGC, and other Central sources in terms of Rules framed under Section 12-(B) of the UGC Act, 1956

Yours faithfully

Photo Copy Attested

(Mrs. Urmil Gulati)
Under Secretary

Urmil Gulati
प्रवाय

मवाइ अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
A-गजरोला (जमरोला)

Copy 10:-

1. The Principal, Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula-243 235, Jyotiba Phule Nagar U.P.
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, T-14 Section, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001.
3. The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Higher Education, Lucknow (U.P.)
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau, 35, Ferozshah Road, New Delhi
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. All Sections, U.G.C., New Delhi.
7. Publication Officer, (website) UGC.
8. Guard file.

Prem Chandi
Prem Chandi
Section Officer

Dr. Singh, H. U. Bareilly
Please note 2
Act accordingly
17/3/05
22.3.05

10/3/05
22.3.05

Prem Chandi
Section Officer

संख्या-1887/सत्तर-5-2008-41(9)/98

प्रेषक,

डा० रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

विषय:- रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला जे०पी०नगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता।

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2008

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- रू०वि०/सम्ब०/54(2)/2008/1885-86, दिनांक 26-7-2008, के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) 2007 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) के अधीन श्री राज्यपाल रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला जे०पी०नगर को स्नातक स्तर विज्ञान के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कान० विषयों/पाठ्यक्रमों को दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1887(1)/सत्तर-5-2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- 3- प्राचार्य, रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला, जे०पी० नगर।
- 4- उच्च शिक्षा अनुभाग-5
- 5- गार्ड फाइल

Photo Copy Attested


प्राचार्य

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजरौला (अमरोहा)

आज्ञा से

(डा० रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।





महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रु.वि./सम्ब. /2018, 301 - 3020

दिनांक: 30.06.2018

सेवा में

प्रबन्धक/सचिव / प्राचार्य

रमा बाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरोला,
अमरोहा।


विषय: संस्था रमा बाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरोला, अमरोहा को परास्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एमएड अंग्रेजी पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258) /2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था रमा बाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरोला, अमरोहा को परास्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एमएड अंग्रेजी पाठ्यक्रमों /विषयों में दिनांक 01.07.2018 से अग्रतर सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान/महाविद्यालय शर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों/शर्तों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही हैं। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटस्थित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

Photo Copy Attested


प्राचार्य


माबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजरोला (अमरोहा)

- 07 समस्त महाविद्यालयों में 100 करोड़ के अन्तर्गत एक महाविद्यालय में संशोधित समस्त परिसरों की संख्या 1000 से अधिक करने का निर्णय प्रस्तावित किया जा रहा है। जिन महाविद्यालयों में संशोधित कार्य का अनुमानित अंश 50 लाख से अधिक है। इस अंश का शेष का निर्णय है कि समस्त महाविद्यालयों में प्रत्येक-प्रत्येक परिसरों में जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
- 08 जिन परिसरों में ही सी.आई.टी. से अन्तर्गत सामान्य महाविद्यालय में अन्तर्गत के बाद ही कार्य का प्रारंभ किया जाये।
- 09 जिन परिसरों में बाह्य कार्यालयों की सुविधाएँ द्वारा निर्मित जिन में सुविधाएँ कार्य परिसर के अनुमानित की व्यवस्था में सम्बद्धता एक निर्मित किया जाये एवं अगामी कार्य परिसर की बैठक में अन्तर्गत परिसरों का अनुमानित-परिसर प्रस्ताव किया जाये।
- 10 सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगताओं की सुविधा हेतु स्वीय का निर्माण करना प्राथमिक होगा।
- 11 महाविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCE-II का काम अन्तर्गत करना अनिवार्य होगा।
- 12 राज्य शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनदेश संख्या 332/संस्क-3/2015 दिनांक 20 फरवरी 2015 के अनुसार महाविद्यालयों में अन्तर्गत कार्य अन्तर्गत-कार्यों का निर्माण सुनिश्चित किया जाये सुनिश्चित करेगा।

महनीय
 (सहायक कुलपति/अध्यक्ष)
 कुलपति

- अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सूचनाव एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रावधान -
- 01 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा (उपप्र) शासन, लखनऊ।
 - 02 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 03 निचल अधिकारी (एन.ओ.डी.ए.ए.डी.) वरन्धी।
 - 04 राज्य उच्च शिक्षा अधिकारी वरन्धी।
 - 05 उ. कुलपति, राज्य सरकार।
 - 06 निजी सचिव, कुलपति।
 - 07 अवर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
 - 08 परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यकारी हेतु।
 - 09 श्री गवर्नर, प्रदेश को इस अंश से कि सुदूर दिग्दर्शन के अन्तर्गत का अनुमानित कार्य

Photo Copy Attested


 प्राचार्य
 माबाइ अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
 A, मजरा (अमरोहा)



महात्मा ज्योतिबा फुले रहेलखण्ड विश्वविद्यालय



महात्मा ज्योतिबा फुले रहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: स्‍0वि0/सम्बद्धता/2017/1261-1270
सेवा में,

दिनांक: 29.05.2017

प्रबन्धक/सचिव

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय,
गजरोला, अमरोहा।

विषय: रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अमरोहा को स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम/विषय में अग्रतर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अमरोहा को स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रतर सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में बर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्वतंत्र निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

Photo Copy Attested

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरोला, अमरोहा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0स्‍0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति।
06. अग्र सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उपर सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करे।
08. परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।


प्राचार्य

मावाइ अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
गजरोला (अमरोहा)

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरोला, अमरोहा
कुलसचिव